संख्या-106/2021/955/22-4-2021-48(42)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 15 नवम्बर, 2021

विषय:- प्रदेश की कारागारों में संचालित विद्युत व्यवस्था को हाई वोल्टेज/लो वोल्टेज की समस्या से बचाव हेतु **20** कारागारों में हैवी डयूटी स्टैब्लाइजर (500 केवीए) की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17020/आधु-1/है0ड0 स्टैबलाइजर /2021-22,दिनांक 15.07.2021 एवं पत्र संख्या-211/आधु-2/है0ड0स्टैबलाइजर/2021, दिनांक 16.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों में संचालित विद्युत व्यवस्था को हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज की समस्या से बचाव हेतु प्रदेश की 20 कारागारों में हैवी डयूटी स्टैब्लाइजर (500 केवीए) की व्यवस्था कराये जाने हेतु जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के लिए निम्न विवरणानुसार रू0-2,50,00,000/- (रू0 दो करोड पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करती है:-

क्र 0	कारागार का नाम	प्रस्तावित स्टैब्लाइजर की संख्या	प्रस्तावित लागत
1	जि 0का0 गोरखपुर	01	1250000
2	के 0का0 बरेली	01	1250000
3	जि 0का0 मुरादाबाद	01	1250000
4	जि 0का0 मेरठ	01	1250000
5	जि 0का0 गाजियाबाद	01	1250000
6	जि 0का0 बुलन्दशहर	01	1250000
7	जि 0का0 मुजफफरनगर	01	1250000
8	के 0का0 फतेहगढ	01	1250000
9	जि 0का0 कानपुर नगर	01	1250000
10	जि 0का0 अयोध्या	01	1250000
11	जि 0का0 बाराबंकी	01	1250000
12	के 0का0 नैनी	01	1250000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	जि 0का0 बांदा	01	1250000
14	के 0का0 आगरा	01	1250000
15	जि 0का0 आगरा	01	1250000
16	जि 0का0 फिरोजाबाद	01	1250000
17	जि 0का0 अलीगढ	01	1250000
18	जि 0का0 सीतापुर	01	1250000
19	के 0का0 वाराणसी	01	1250000
20	जि 0का0 वाराणसी	01	1250000
	योग -	**20**	**25000000**

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा उपकरणो का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणो के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर गयी हो ।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(4) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(5) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नही किया जायेगा ।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक-31-3-2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-800- अन्य व्यय-14- कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26- मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र मद" के नामे डाला जायेगा और उस लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट से ही वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई-12-226 (ई0ओ0)/दस-2021 दिंनाक-12-11-2021 में प्राप्त उनकी सहमति जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-106/2021/955/22-4-2021, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।